

भारत सरकार  
ग्रामीण विकास मंत्रालय  
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 2702  
(09 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

कचरे का निपटान

2702. श्री दीपक बैज:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कचरे के निपटान हेतु कौन-सी प्रणाली आरंभ की गई है;
- (ख) क्या स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जमा किए गए कचरे का परंपरागत तरीके से निपटारा किया जाता है और छोड़े गए कचरे को यहां-वहां फैला दिया जाता है; और
- (ग) गत पांच वर्षों के दौरान कचरे के निपटारे के लिए कितने आधुनिक संयंत्र स्थापित किए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री  
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [(एसबीएम-जी)] के अभिन्न घटकों में से एक है। इस घटक के अंतर्गत, मकानों के कचरों का एकत्रीकरण, पृथक्करण और सुरक्षित निपटान तथा मेंस्ट्रुअल अपशिष्ट (इस्तेमाल किए गए सैनिटरी पैड और कपड़े) का सुरक्षित निपटान समाधान जैसे कार्यकलाप तथा एकत्रीकरण तंत्र इत्यादि शुरू किए जा सकते हैं। राज्यों को उनकी स्थानीय स्थितियों तथा जरूरतों के अनुसार प्रौद्योगिकियों का निर्णय लेने की छूट है। एसबीएम (जी) दिशा-निर्देशों में वर्गीकृत कम्पोस्टिंग जैसे खाद/अन्य किसी कम्पोस्टिंग विधि, व्यष्टि और सामुदायिक बायोगैस प्लांट इत्यादि के रूप में जैविक ठोस अपशिष्ट का अधिकतम पुनः उपयोग करने संबंधी प्रौद्योगिकियों को अपनाने का प्रावधान किया गया है और ग्राम पंचायतें उन गांवों में, जहां गांव के भीतर अपशिष्ट का शोधन संभव नहीं है, वहां ब्लॉक/जिला/निजी एजेंसियों के साथ अग्रानुबंधन कर सकती हैं।

आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का प्रबंधन राज्य का विषय है। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अंतर्गत निर्धारित वैज्ञानिक तरीके से कचरे का प्रबंधन करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित किया जाता है।

यूएलबी/राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश में निर्माणाधीन/अपशिष्ट प्रसंस्करण प्लांटों का विवरण निम्नानुसार है:

### एसडब्ल्यूएम परियोजनाएं

परियोजना का प्रकार	परियोजनाओं की सं.
अपशिष्ट से कम्पोस्ट (5 टीपीडी से अधिक क्षमता वाली)	690
अपशिष्ट से बिजली	5
रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल (आरडीएफ)/ बायोगैस इत्यादि	109
मैटल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ)	323
निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी)	6
<b>कुल (05.07.2019 की स्थिति के अनुसार)</b>	<b>1133</b>

### निर्माणाधीन/उन्नयन परियोजनाएं

परियोजना का प्रकार	परियोजनाओं की सं.
अपशिष्ट से कम्पोस्ट (5 टीपीडी से अधिक क्षमता वाली)	332
अपशिष्ट से बिजली	24
रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल (आरडीएफ)/ बायोगैस इत्यादि	40
मैटल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ)	3
निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी)	3
<b>कुल (05.07.2019 की स्थिति के अनुसार)</b>	<b>402</b>

-----